

महानगरपालिका २७) (२०२०-२१/NE-5(DAK) ७४
२२-९-२०२० अखिर - जामनी ठाउँमा भूमि अर्जन

श्री राजबीर धीमान, सक्षम प्राधिकारी(भू.अ.) सह जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द के द्वारा घोषित अवार्ड

अवार्ड संख्या - 2-(7)/2020-21/NE-5(DAK)

अवार्ड दिनांक - 22-09-2020

ग्राम का नाम - जामनी

अवार्ड -

हरियाणा राज्य में नये, दिल्ली-अमृतसर-कटरा ऐक्साप्रेसवे (एनई-5) के भू-खण्ड के निर्माण (4 लेन/6 लेन आदि बनाने), अनुसंधान, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई भिवानी, द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3A के अन्तर्गत ग्राम- जामनी की 42 2413 हेक्टेयर भूमि के अवाप्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

उक्त भूमि अर्जन प्रस्ताव में भा०रा०रा०प्रा० प०का०ई० भिवानी के माध्यम से सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा उक्त भूमि की 3A की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत के राजपत्र असाधारण गजट का.आ. संख्या 782(अ) दिनांक 19.02.2020 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। परियोजना निदेशक, भाराराप्रा, पकाई-भिवानी द्वारा धारा 3A की उक्त अधिसूचना को दो स्थानीय समाचार पत्रों यथा - (i) दैनिक जागरण एवं (ii) द ट्रिब्यून में दिनांक 01.03.2020 को सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ प्रकाशित किया गया। धारा 3A के सम्बन्ध में आपत्ति हेतु निर्धारित समय अवधि 21 दिवस के भीतर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण धारा 3C के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किया गया।

तदोपरान्त, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D की उपधारा 3 के अन्तर्गत कुल 33 0399 हे० के लिए अधिसूचना का प्रकाशन भारत के असाधारण राजपत्र का.आ. संख्या 2366(अ) में दिनांक 16.07.2020 को प्रकाशित किया गया। परियोजना निदेशक, भाराराप्रा, पकाई-भिवानी द्वारा उक्त अधिसूचना का प्रकाशन धारा 3जी(3)/(4) के आम सूचना के साथ दो स्थानीय समाचार पत्रों यथा- (i) दैनिक जागरण में दिनांक 23.07.2020 एवं (ii) द ट्रिब्यून में दिनांक 21.07.2020 को सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ प्रकाशित किया गया। उक्त अधिसूचना में आपत्ति हेतु निर्धारित समय अवधि 7 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई।

ग्राम- जामनी का 3जी अवार्ड एवं देय मुआवजा की विवरण निम्न प्रकार है :-

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत प्रकाशित कुल रकबा 33 0399 हेक्टेयर है। कुल रकबे में से 0.8092 हे० हरियाणा सरकार का होने से इसे अवार्ड में सम्मिलित नहीं किया जाता है तथा कुल रकबे में से 0.5708 हे० ग्राम पंचायत का होने से इसे निम्नों के तहत इस अवार्ड में सम्मिलित किया जाता है। उक्त अवार्ड में 109//7, 109//8, 130 मिन, 131 मिन, 132 मिन, 37//19 मिन, 37//22/1, 37//22/2, 46//1 मिन, 46//2 मिन खसरा नम्बरों की मलकियत का कुछ अंश हरियाणा सरकार का होना से इसे इस अवार्ड में सम्मिलित किया जाता है परन्तु इससे मोके निरीक्षण एवं उत्तमाजात के उपरान्त ही इसके वास्तविक मालिक को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। यदि यह हरियाणा सरकार का होगा तदोपरान्त इसकी राशि को वापिस कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के उपर RCTLARR अधिनियम 2013 के समुचित धाराओं के प्रभावी होने के मद्देनजर धारा 26 के तहत अधिग्रहणाधीन भूमि के बाजारी मूल्य निर्धारण के क्रम में ग्राम जामनी में धारा 3A के समाचार पत्रों में प्रकाशन दिनांक 01.03.2020 से 3 वर्ष पूर्व तक किये गये खरीद बिक्री की विवरणी संबंधित तहसील से प्राप्त की गई। साथ ही धारा 3ए के प्रकाशन के समय प्रभावी डीसी दर को भी प्राप्त किया गया। इसके बाद दिनांक 22.09.2020 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अभिग्रहण)/जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द के द्वारा मुआवजे के दर निर्धारण हेतु एक बैठक की गई। बैठक में नियमों के तहत प्राप्त प्रभावी क्रय बिक्रय दर के अधिकतम 50 प्रतिशत का औसत निकाला गया तथा इसकी तुलना डीसी रेट से की गई, जो निम्न प्रकार है:-

Attested to be true copy authorised under
section 78 of Indian Evidence so

Sadar Copying Agent 10/09/21
Officer Deputy Commissioner

Page 1 of 2

Certified to be True Copy

Scanned with CamScanner

Examiner

राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती भूमि का दर	राज्यमार्ग के साथ लगती भूमि का दर	लैंक रोड के साथ लगती भूमि का दर	अन्य किरम भूमि का दर
		2700000 per Acre (6671700 per Ha.)	1801066 per Acre (4450434 per Ha.)

उक्त अवार्ड की मुआवजे की गणना के लिए दर निर्धारण में वर्तमान किए गए दर निर्धारण से पूर्व में इसी ग्राम के राष्ट्रीय राजमार्ग 152डी के लिए किए गये 3जी अवार्ड (अवार्ड संख्या - 22-18 दिनांक 26.12.2018) की गणना में प्रयुक्त रेट से कम है अतः उक्त के आलोक में इस परियोजना के लिए इसी ग्राम के पूर्व निर्धारित रेट को आधार मान कर अवार्ड की गणना की जाती है (लैंक रोड के साथ लगती भूमि का दर-2700000 प्रति एकड़, अन्य किस्म भूमि का दर-1950000 प्रति एकड़)

उक्त अवार्ड में खसरा नम्बरानं यथा- 109//2/1, 2/2, 3, 4, 7, 8, 90//23, 24, 46//12, 9, 3, 37//12, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23 प्राईम नम्बर की श्रेणी में आता है जिसका दर इसी ग्राम के रोड के साथ लगती भूमि के डी०सी० दर के समरूप निर्धारित किया गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा गजट संख्या का.आ 3/के.अ 30/2013/धा 30/2018 दिनांक 23 जनवरी 2018 के द्वारा प्रतिपादित प्राप्त दर के लिए गुणक जो वर्तमान मामले में नजदीकी नगर पालिका सफाई की सीमा से अर्जनाधीन खसरों के 10 कि.मी. से 20 कि.मी. के दायरे में अवस्थित होने के दृष्टिगत 1.50 निर्धारित किया जाता है। साथ ही, RFCTLARRA Act 2013 के धारा 30 के तहत 100 प्रतिशत सोलेशियम का भी प्रावधान मुआवजे के निर्धारण में किया गया है, इसी के आलोक में ग्राम जामनी में प्रभावित खसरों के 3जी अवार्ड (परिसम्पत्तियों को छोड़ कर) आज दिनांक 22.09.2020 को कुल 50,35,48,532/- रु के लिए घोषित करते हुए अधियायी विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) को इसकी एक मूल प्रति उपलब्ध कराते हुए मुआवजे की राशि को अविलम्ब सक्षम प्राधिकारी (भू०अ०) सह जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द एवं भा०रा०रा०प्रा० परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भिवानी के संयुक्त खाते में संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों के बीच इसके वितरण हेतु उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता है। साथ में इसकी एक प्रति संबंधित तहसील में भेजने का आदेश दिया जाता है।

(श्री राजवीर धीमान)
सक्षम अधिकारी (भू.अ.)
ज/एवं जिला राजस्व अधिकारी,
जीन्द।

प्रतिलिपि -

पृष्ठ क्रमांक 1173 / एलए दिनांक 22/04/21

- इसकी एक एक प्रति परियोजना निदेशक, पकाई-भिवानी, म.न. 1397 पी, हुडा रोक्टर-13, भिवानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित है।

(श्री राजवीर धीमान)
सक्षम अधिकारी (भू.अ.)
ज/एवं जिला राजस्व अधिकारी,
जीन्द।

Certified to be True Copy

